दिनांक : 04 मार्च, 2014

संवैधानिक और नैतिक शक्ति के रुप में राष्ट्रपति

– अरुण जेटली
(राज्य सभा में विपक्ष के नेता)

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की भूमिका के संबंध में अनेक विचार व्यक्त किए गए हैं। वह राष्ट्राध्यक्ष हैं और सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं। ये कुछ ऐसे कार्य हैं जहां वह किसी की मदद लिए बिना और मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। अधिकतर कार्यों के लिए वे सहायक और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे होते हैं।

लेकिन राष्ट्रपति के पास अघोषित कार्य भी होते हैं। उनके पास अपरिभाषित और अघोषित नैतिक अधिकार भी होते हैं।

केवल राष्ट्रपति का कद एक ऐसे राजनीतिज्ञ का होता है जो अपने नैतिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अधिकार के लिए राष्ट्रपति को निष्पक्ष और संवैधानिक सरकार का हिमायती होना चाहिए।

अगर मीडिया की खबरों पर यकीन किया जाए तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत सरकार का कुछ अध्यादेश लागू करने का फैसला राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने अप्रसन्न होकर विफल कर दिया। मीडिया की खबरों पर यकीन करने के कई कारण हैं। राष्ट्रपति श्री मुखर्जी सबसे अधिक अनुभवी सांसदों में से एक हैं। उन्होंने मंत्री के रुप में बहुत लंबी पारी खेली है। मिसालों और औचित्य के सम्बन्ध में उनकी याददाश्त बेमिसाल है।

अनुच्छेद 123 अध्यादेशों को लागू करने के सम्बन्ध में है। अध्यादेश जारी करने के लिए संविधान में दो स्थितियां बताई गई हैं।

पहला संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो और दूसरा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिनके कारण उन्हें (राष्ट्रपति को) तत्काल कार्रवाई करनी पड़े।

निश्चित तौर पर श्री राहुल गांधी की यह इच्छा कि कुछ कानूनों को आगे बढ़ाया जाए ताकि वह दावा कर सकें कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान का हिस्सा हैं, यह कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जिसके लिए अध्यादेश के रास्ते तत्काल कानून बनाया जाए। सत्तारुढ़ पार्टी के लिए आगामी चुनाव में भयानक संभावनाएं उस पार्टी के नेताओं के लिए चिंता का विषय हो सकती हैं। लेकिन जब इसे अध्यादेश लागू करने की शक्ति से जोड़ा जाए तो यह अप्रासंगिक विचार लगता है। इन विधेयकों को पहले क्यों मंजूरी नहीं दी गई? वे संसद के जून सत्र का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? यह ऐसे प्रासंगिक सवाल है जिन्हें पूछने का राष्ट्रपति को अधिकार है।

क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह का उल्लंघन कर सकते थे? नहीं, वह नहीं कर सकते थे। लेकिन वह महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते थे। वे अध्यादेशों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते थे। वे विशेषज्ञों से सलाह कर सकते थे और राजनैतिक विस्तृत श्रेणी में वह प्रतिकूल राय सुन सकते थे। राष्ट्रपति संविधान को लागू करने के लिए इस संवैधानिक और नैतिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे। इस मामले में पहली वाली बात की तुलना में बाद वाली चीज ज्यादा प्रभावकारी हो गई। इन सभी चीजों ने सरकार की संवैधानिक निष्पक्षता के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं, एक ऐसा प्रभाव जिसका खतरा एक कमजोर सरकार मोल नहीं ले सकती। राष्ट्रपति के रुप में संवैधानिक सरकार के हिमायती भविष्य के लिए एक अच्छी परम्परा कायम कर सकते हैं।

*****